निगरानी नगरपालिका प्रकरण संख्या 04/2013(RCMS No. 2013/00005) अनवानी 1. देवी सिंह पुत्र स्व. श्री राम लाल जाति चारण, आयु 53 साल लगभग निवासी एस.बी.बी.जे. बैंक के पास, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर हाल निवासी पिजंरापोल से आगे, राजस्थान पब्लिक स्कूल के पास, कस्बा फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान बनाम 1. श्रीमती ताजा देवी पत्नी स्व. श्री रामलाल जाति चारण निवासी एस.बी.बी.जे. बैंक के पास, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर राजस्थान 2. नगर परिषद, श्रीगंगानगर जरिये आयुक्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.06.2019

प्रार्थी के अभिभाषक श्री राजेन्द्र सिंह ग्रोवर एवं अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता श्री मोहन लाल पूनियां उपस्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता श्री मोहन लाल पूनियां द्वारा स्वायत्त शासन विभाग राजास्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)()नियम/डीएलबी/15/5843 दिनांक 10.06.2016 की प्रति पेश करते हुए प्रार्थना की है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी देवी सिंह पुत्र स्व. श्री रामलाल द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2) के अन्तर्गत नगर परिषद्, श्रीगंगानगर के **आदेश दिनांक 23.05.2012 से अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पक्ष में अहाता संख्या 817 खाता संख्या 482 क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर पट्टा संख्या 50 जारी किया गया,** को निरस्त करने के लिए पेश की थी और अब चूंकि धारा 73 के अन्तर्गत के प्रकरणों की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु प्रत्येक संभाग के संभागीय आयुक्त को दिनांक 10.06.2016 की उक्त अधिसूचना द्वारा शक्तियां दी जा चुकी है इसलिए इस न्यायालय को उक्त प्रकरण में सुनवाई कर निस्तारण करने का अब कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी देवी सिंह पुत्र स्व. श्री राम लाल द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने के लिए लौटाई जाये। प्रार्थी के अधिवक्ता को भी उक्त अधिसूचना के अनुसार सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने हेतु लौटाने में कोई आपत्ति नहीं है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने उक्त निगरानी दिनांक 18.07.2013 को इस न्यायालय में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2) के तहत पेश की थी। **जिसमें उसने नगर परिषद के आदेश दिनांक 23.05.2012 से अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पक्ष में अहाता संख्या 817 खाता संख्या 482 क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर पट्टा संख्या 50 जारी किया गया है, को निरस्त करने की प्रार्थना की थी।** पूर्व में उक्त धारा 73(2) के तहत कार्यवाही करने के लिए निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता अर्थात जिला कलक्टर को शक्तियां थी किन्तु राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 10.06.2016 से ये शक्तियां प्रत्येक संभाग के संभागीय आयुक्त को दे दी गई है। इसलिए अब इस प्रकरण में सुनवाई कर निस्तारण करने की अधिकारिता निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को नहीं रहती है। इसलिए उक्त प्रकरण को सक्षम ऑथोरिटी/न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए लौटाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त **निगरानी देवी सिंह बनाम ताजा देवी एवं नगरपरिषद् को सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने हेतु** उक्त निगरानी **लौटाई जाती है।** इस आशय का नोट मूल निगरानी पर अंकित कर दिया जावे। **नगर परिषद्, श्रीगंगानगर को श्रीमती ताजा देवी पत्नी श्री राम लाल, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर की मूल पत्रावली एवं इस न्यायालय के उक्त आदेश की प्रति भेजी जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर